भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5373

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

सड़क दुर्घटनाओं में कुचलकर होने वाली मौतें

5373. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री चंद्र शेखर साहूः

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सड़क दुर्घटना में कुचलकर हुई मौतों से संबंधित हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में भिन्नता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारत सड़क सुरक्षा संबंधी ब्रजीलिया घोषणा में एक हस्ताक्षरकर्ता है और सड़क दुर्घटनाओं में कुचलकर होने वाली मौतों को 2020 तक आधी करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़क दुर्घटनाओं के मामले किस सीमा तक कम हुए हैं;

(घ) क्या हमारे देश में सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं और किसी अनुसंधान/उपाय के लिए ठीक नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने फोरमेट जिसमें स्थानीय पुलिस सड़क दुर्घटनाओं में कुचलने की रिपोर्ट दर्ज करती है और उन्हें परिवहन अनुसंधान स्कंध के लिए भेजा जाता है के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रामाणिक आंकड़े जिन्हें उपचार के प्रयोजन से उपयोग किया जा सकता है, तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): मंत्रालय द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। मंत्रालय में उपलब्ध सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु संबंधी नवीनतम संकलित आंकड़ें वर्ष 2017 के लिए हैं जो निम्नानुसार हैं: -

वर्ष	देश में दुर्घटनाओं की कुल संख्या	देश में सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या
2017	4,64,910	1,47,913

सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं जैसे कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, शराब पीकर/नशे में वाहन चलाना, अधिक भार से लदे वाहन,कम रोशनी, रेड लाइट को पार करना, तेज गति में वाहन चलाना, ओवरटेकिंग, नगर निकायों की लापरवाही, खराब मौसम, गलत दिशा में वाहन चलाना, सड़क की खराब हालत, मोटर वाहन की खराब स्थिति, साइकिल चालक की गलती, पैदल-यात्री की गलती आदि हैं।

(ख) एवं (ग): सड़क सुरक्षा के संबंध में दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन 18-19 नवंबर, 2015 में ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था। भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में वर्ष 2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने के लिए सहमति हुई है। इस पर भी सहमति हुई है कि सड़क दुर्घटनाएं दुनिया भर में मौतों का प्रमुख कारण हैं। इस बात पर भी सहमति हुई कि सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली गंभीर चोटों की निगरानी व्यवस्था को शुरू करने, या बेहतर एवं सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। कलैंडर वर्ष 2017 के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों/सूचना से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 3.3% की कमी हुई है और चोटों की संख्या में 4.8% की कमी आई है।

(घ) से (च): सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों की रिकॉडिंग एवं रिपोर्टिंग को अधिक सटीक, वस्तुपरक बनाने तथा सभी प्रकार की प्रासंगिक सूचना को शामिल करना सुनिश्चित किए जाने के लिए सड़क दुर्घटना संबंधी मौजूदा आंकड़ों के संग्रहण/सूचना फॉर्मेट की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसमें भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, आइआइटी खड़कपुर, विश्व स्वास्थ्य संगठन से विशेषज्ञ, राज्यों के पुलिस और परिवहन विभागों से वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इस मंत्रालय से अधिकारी शामिल थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर कलैंडर वर्ष 2017 के बाद से सड़क दुर्घटना संबंधी रिकॉडिंग एवं रिपोर्टिंग का संशोधित समरूप फॉर्मेट अपनाया गया है।

*****